तारीख जो इस तामील हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/32/2013	2013/00010	12.12.2013	21.11.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, लक्ष्मणगढ (मुख्यालय अलवर) जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. राजेन्द्र अवस्थी, उ.मू.दु., ग्राम पंचायत खेरली रेल, तहसील कठूमर, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत 04 क्विं0 गेहूं मय बारदाना एवं 05 बैग एपीएल फोर्टिफाईड आटा को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ —विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत 04 क्विं0 गेहूं मय बारदाना एवं 05 बैग एपीएल फोर्टिफाईड आटा, को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, लक्ष्मणगढ ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 22.03.2013 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी सतर्कता (मुख्यालय) जयपुर बहमराह श्री अभिषेक कुमार सिह, प्र. नि. जयपुर (ग्रामीण) एवं मुझ प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा राजेन्द्र अवस्थी, उ.मू.दु, ग्राम पंचायत खेरली रेल, तहसील कठूमर (अलवर) के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच मौके पर ग्राम खेरली रेल के उपभोक्ताओं से पूछताछ कर एवं दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री एवं रिकॉर्ड का मिलान कर की गई। वक्त जांच मौके पर राजेन्द्र अवस्थी एवं उनके पुत्र बालकृष्ण अवस्थी उर्फ मोन्टू मौजूद मिले जिनके द्वारा निरीक्षण करवाया गया। जांच के दौरान निरीक्षण में निम्न अनियमितताऐं पाई गई—

1. वक्त जांच मुल्यु, सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन संधारित नहीं पाया गया तथा दुकान पर जिला रसद कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय के दूरभाष नम्बर भी प्रदर्शित किए हुए नहीं थे।
2. वक्त जांच प्राधिकार पत्र दुकानदार द्वारा वास्ते अवलोकनार्थ/निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया।
3. वक्त जांच लेवी चीनी, अन्त्योदय गेहूं, बीपीएल गेहूं, स्टेट बीपीएल गेहूं, अतिरिक्त बीपीएल व स्टेट बीपीएल गेहूं बिना राशन टिकिटों के वितरण किया जा रहा था।
4. केरोसीन तेल के माह मार्च 2013 के वितरण रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 4,5,6 और 7 में केरोसीन की मात्रा, कीमत और उपभोक्ताओं के प्राप्ति के हस्ताक्षर किये हुए नहीं पाये गये।
5. मौके पर वक्त जांच यूनिट रजिस्टर पेश नहीं किया गया।
6. यह है कि प्राधिकार पत्र धारक राजेन्द्र अवस्थी की दुकान के पीछे बने हुए दो कमरों में 8 कट्टे एफसीआई मार्का के मशीन से मुंह सिले हुए गेहूं के रखे हुए मिले जिनमें प्रत्येक में 50 किग्रा गेहूं के हिसाब से 4 क्वि० गेहूं मिला जिसे अवैध/अघोषित गोदाम में रखा हुआ होने के कारण एवं स्टॉक से अधिक पाये जाने के कारण मय बारदाना जब्त सरकार कर मौके पर श्री भरत लाल मीणा जीएसएस खेरली रेल की सुपुर्दगी में सुरक्षा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

की दृष्टि से संभालकर रखने हेतु दिया गया। दूसरे कमरे में 5 बैग एपीएल फोर्टिफाईड आटे के प्रति बैग 10 किग्रा वजनी कुल मात्रा 50 किग्रा एपीएल आटा रखा मिला जिसे अवैध/अघोषित गोदाम में रखा हुआ एवं स्टॉक से अधिक पाये जाने के कारण जप्त सरकार कर श्री भरत लाल मीणा जीएसएस खेरली रेल की सुपुर्दगी में दिया गया मौके पर ही फर्द निरीक्षण, फर्द जप्ती माल, सुपुर्दगीनामा और फर्द जप्ती रिकॉर्ड तैयार किया गया तथा उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान लिये गये।

उक्त कृत्य दुकानदार राजेन्द्र अवस्थी उ.मू.दु., ग्राम पंचायत खेरली रेल, तहसील कठूमर (अलवर) द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,5,8,11 व 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 8 कटटे गेहूं वजनी प्रति कटटा 50 किग्रा कुल वजन 4 क्वि० मय बारदाना एवं 5 बैग एपीएल फोर्टिफाईड आटा प्रति बैग 10 किग्रा कुल वजन 50 किग्रा को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में जवाब पेश कर निवेदन किया कि श्री ज्ञानचन्द, प्रवर्तन अधिकारी कठूमर द्वारा दिनांक 22.03.2013 को जो माल गेहूं 4 क्विं 80 किलोग्राम एवं आटा 50 किलोग्राम मय 5 बैग हमारे खुद के ही रखे हुए को पीछे के कमरे से जबरन खुलवाकर जब्त किया गया है। यह तथ्य दौराने वक्त जांच सर्तकता दल को भी बता दिया गया था। इसके बावजूद भी घरेलू गेहूं व आटे को जब्त कर लिया गया जो सरकार गलत है। उक्त जब्त किए गए गेहूं 04 क्विं 80 कि.ग्रा. मैसर्स रामाअवतार हितेश कुमार नई मण्डी खेरली से बिल नं0 1196 दिनांक 10.03.2013 को खरीदा गया है जिसे मेरे परिवार उपयोग के लिए पीछे वाले कमरे में रखे हुए को जबरन जब्त किया गया है। मेरे घरेलू राशन कार्ड एपीएल पर ग्राम सेवा सह0 समिति खेरली रेल से माह मार्च 2013 का एपीएल आटा प्रति राशन कार्ड 10 किलोग्राम के हिसाब से 5 बैग आटा पांच राशन कार्डों के भी पीछे वाले कमरे से गेहूं के साथ रखवाए हुए, को जबरन जब्त किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि घरेलू गेहूं व आटा घर में रखे हुए को जबरदस्ती वक्त जांच सतर्कता दल द्वारा जबरदस्ती जब्त किए गए, को दिलाने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपी0 द्वारा अपील के समर्थन में मुख्य कथन किया है कि वक्त जांच मूल्य, सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन संधारित नहीं पाया गया तथा दुकान पर जिला रसद कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय के दूरभाष नम्बर भी प्रदर्शित किए हुए नहीं थे। वक्त जांच प्राधिकार पत्र दुकानदार द्वारा वास्ते अवलोकनार्थ/निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया। वक्त जांच लेवी चीनी, अन्त्योदय गेहूं, बीपीएल गेहूं, स्टेट बीपीएल गेहूं, अतिरिक्त बीपीएल व स्टेट बीपीएल गेहूं बिना राशन टिकिटों के वितरण किया जा रहा था। केरोसीन तेल के माह मार्च 2013 के वितरण रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 4,5,6 और 7 में केरोसीन की मात्रा, कीमत और उपभोक्ताओं के प्राप्ति के हस्ताक्षर किये हुए नहीं पाये गये। मौके पर वक्त जांच यूनिट रजिस्टर पेश नहीं किया गया। प्राधिकार पत्र धारक राजेन्द्र अवस्थी की दुकान के पीछे बने हुए दो कमरों में 8 कट्टे एफसीआई मार्का के मशीन से मुंह सिले हुए गेहूं के रखे हुए मिले जिनमें प्रत्येक में 50 किग्रा गेहूं के हिसाब से 4 क्वि० गेहूं मिला जिसे अवैध/अघोषित गोदाम में रखा हुआ था। दूसरे कमरे में 5 बैग एपीएल फोर्टिफाईड आटे के प्रति बैग 10 किग्रा वजनी कुल मात्रा 50 किग्रा एपीएल आटा रखा मिला जिसे अवैध/अघोषित गोदाम में रखा हुआ। दौरान निरीक्षण उपरोक्त अनियमितताऐं पाई गयी हैं जिससे यह स्पष्ट है कि राजेन्द्र अवस्थी, उ.मू.दु. ग्रा.पं. खेरली रेल, कठूमर द्वारा 4 क्वि० गेहूं तथा 50 किग्रा एपीएल आटा मय बारदाना अवैध/अघोषित गोदाम में अवैध रूप स्टॉक से अधिक मात्रा में रखा गया था। वक्त जांच 8 गेंहू के कट्टे वजनी प्रत्येक 50 किग्रा एफसीआई मार्का के मशीन से मुंह सिले हुए मिले एवं अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत गेहूं के बिल जो कि रामअवतार हितेश कुमार कमिशन एजेंट, 79, न्यू मण्डी यार्ड, खेरली अलवर का है, से क्रय किया जाना बतलाया गया है जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त 4 क्विं गेहूं क्रय किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि दुकानदार राजेन्द्र अवस्थी उ.मू.दु., ग्राम पंचायत खेरली रेल, तहसील कठूमर (अलवर) द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,5,8,11 व 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योगय है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, 4 क्वि० गेहूं तथा 50 किग्रा एपीएल आटा मय बारदाना, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि 4 क्वि० गेहूं तथा 50 किग्रा एपीएल आटा मय बारदाना सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)